ग्राम पंचायत नरैश, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत नरैश विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्रीमति प्रेम लता	1.4.2013 से 22.1.2016
2.	श्रीमति विद्या देवी	23.1.2016 से अघतन

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री सहेश राम	1.4.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत नरैश के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	7	पंचायत राजस्व की वसूली हेतु शेष	0.77
2.	8	अनुदानों का उपयोग न करना	21
3.	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना का स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	2.77

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत नरैश, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 23.8.2016 से 29.8.2016 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 8/13, 6/14 व 2/16 तथा व्यय के लिए माह 10/13, 3/15 व 11/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत नरैश, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अधियाचना संख्या : VD(211)/2016–146, दिनांक 27.8.2016 द्वारा सचिव पंचायत नरैश से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत नरैश द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः–

ग्राम पंचायत नरैश के अवधि 4/2013 से 3/2016 के स्वयं स्त्रोतों व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–'I(क)' से 'I(ग)' पार्ट– I में दिया गया हैः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	290669	1083683	21293	1395645	444927	950718
2014—15	950718	626826	43505	1621049	535385	1085664
2015—16	1085664	2207272	60026	3352962	1096656	2256306
					Bank	**₹2261563**

(ii) मनरेगा :—

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013—14	297751	1345185	4678	1577614	2151557	(—)573943
2014—15	(—)573943	220000	866	(—)353077	296447	(—)649524
2015—16	(—)649524	—	—	(—)649524	121176	(—)770700
					Bank	**₹Nil**

विभिन्न बैंकों में दिनांक 31.3.2016 को जमा राशियों का ब्यौराः—

(i) स्व स्त्रोत व अनुदानः—

क्र0 सं0	खाता संख्या	राशि
1.	20151059258	176322
2.	2000606632	1913423
3.	20041005819	62763
4.	50060652443	109055
	कुल जोड़	₹2261563

(ii) मनरेगाः—

1.	20151010110	₹Nil

4.1 मनरेगा की रोकड़ वही को पूर्ण न करना :—

ग्राम पंचायत नरैश की मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा की रोकड़ वही को दिनांक 31.3.2016 तक पूर्ण नहीं किया गया है। योजना में स्वीकृत अनुदान की राशियों व अन्य भुगतान विकास खण्ड अधिकारी के कार्यालय द्वारा Online होने के कारण स्वीकृत राशियों व व्यय की राशियों को

रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अंकेक्षण अवधि में उक्त योजना में कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि का व्यय भुगतान शेष है का पूर्ण विवरण/ब्यौरा पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः मनरेगा में अंकेक्षण अवधि में प्राप्त कुल राशि व व्यय भुगतान का पूर्ण विवरण रोकड़ वही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

4.2 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करनाः–

ग्राम पंचायत नरैश की मुख्य रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही व बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹5669 का अन्तर था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वही व बैंक खातों के दिनांक 31.3.2016 के अन्तिम शेष के अन्तर ₹5669 (परिशिष्ट–'2') का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना :–

पंचायत की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा किए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	दिनांक	हस्तगत राशि
1.	17.4.2013	4650
2.	23.4.2013	3340
3.	29.4.2013	4040
4.	8.5.2013	4290
5.	18.5.2013	6005

6.	21.6.2013	3155
7.	24.6.2013	3935
8.	16.8.2013	11055
9.	8.3.2014	1440
10.	15.3.2014	1640
11.	14.12.2015	3230
12.	15.12.2015	4850
13.	16.12.2015	6200
14.	24.2.2016	3380
15.	26.2.2016	8072

6. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–II में पंचायत आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–II में तैयार न करके सामान्य तौर पर कार्यवाही रजिस्टर में तैयार किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्लन फार्म–II में तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व की ₹0.77 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :–

पंचायत की स्व स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹77070 की वसूली शेष थी।

(1) गृहकरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	41190	21350	62540	23150	39390
2014–15	39390	21350	60740	–	60740
2015–16	60740	21350	82090	7020	75070

(2) मोबाईल टावरः–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	–	–	–	–	–
2014–15	–	4000	4000	4000	–
2015–16	–	2000	2000	–	2000

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7.1 गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर को पूर्ण न करनाः–

ग्राम पंचायत नरैश की गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर को पंचायत द्वारा गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर को दिनांक 31.3.2016 तक पूर्ण नहीं किया गया है। अतः उक्त रजिस्टर में दिनांक 31.3.2016 तक प्रति परिवार की कुल मांग की राशि की गणना करके दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. अनुदानों ₹21 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹2099893 उपयोग हेतु शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट–4 पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.77 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि दिए गए निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹277057 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना अर्थात बिना निविदाएं प्राप्त किए ही किया गया, जोकि

उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	**Head**	**Cash Book Page No.**	**Bill No.**	**Firm**	**Item**	**Amt ₹**
1.	13th F.C	203	Nil	M/s Sanjeev Kumar, Ropa	Stones	20000
2.	D.P.O	204	8849, 22.3.15	M/s Amar Trader's Mandi	Sports Material	47930
3.	LADA	205	Nil	M/s Chet Ram	Stones, Sand etc	76000
4.	LADA	205	Nil	M/s Dhanvir, Naraish	Stones, Sand etc	48200
5.	13th F.C	220	071, 1.11.15	M/s Bhavneshwari Stone Crusher, Hurle	Sand	17397
6.	LADA	219	31, 4.11.15	M/s Malabar Store Crusher, Hurle	Sand	30030
7.	LADA	219	Nil	M/s Dhanvir, Naraish	Stones	37500
					Total	**₹277057**

10. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख
1.	कार्य निष्पादन रजिस्टर
2.	बिल प्राप्ति रजिस्टर
3.	यात्रा भत्ता जांच रजिस्टर
4.	चैक प्राप्ति व जारी करने का रजिस्टर
5.	मोबाइल टावर मांग व प्राप्ति रजिस्टर

11. क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज न करने बारे :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय प्रत्येक मद की स्टॉक प्रविष्टि, स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। पंचायत के बिल वाउचरों की जांच व स्टॉक रजिस्टरों से मिलान करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की गई थी, जोकि नियमानुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

Sr. No.	Head	Cash Book Page No.	Bill No.	Firm	Item	Amt ₹
1.	MGNREGA	122	1309846, 23.9.13	M/s H.P State Civil Supplies Corporation	Cement	86880
2.	13th F.C	2036	Nil	M/s Sanjeev Kumar, Ropa	Stones	20000
3.	D.P.O	204	8849, 23.3.15	M/s Amar Trader's Mandi	Sports Material	47930
4.	LADA	205	Nil	M/s Dhanvir, Naraish	Stones, Sand etc	48200
5.	13th F.C	221	503, 16.11.15	M/s Surya Hardware, Bajoura	Pipes, elbow tee etc.	34700
6.	SDP	224	07801478, 26.12.15	M/s H.P State Civil Supplies Corporation	Cement	27500
7.	13th F.C	224	-do-	-do-	-do-	13750

8.	LADA	218	07800464, 4.11.15	-do-	-do-	34830
9.	LADA	224	Nil	M/s Dhanvir, Naraish	Stones	37500

अतः क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारण स्पष्ट करते हुए उक्त मदों की स्टॉक प्रविष्टियां स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. पंचायत निधि से अधिक भुगतान :–

वाउचर संख्याः 116, माह 10/2013 की जांच करने पर पाया गया कि बिल संख्याः 270856992, दिनांक 1.10.2013 के अनुसार इन्टरनेट का मासिक शुल्क ₹2092 था, परन्तु बिल का भुगतान निर्धारित समय (Due Date) पर न करने के कारण, चैक संख्याः 0628299, दिनांक 24.10.2013 द्वारा ₹2200 का भुगतान किया गया, जोकि वास्तविक बिल से ₹108 अधिक था। अतः बिल का भुगतान निर्धारित समय पर न करने का कारण स्पष्ट करते हुए अधिक व्यय की राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. LADA के तहत प्राप्त अनुदान से ₹0.51 लाख का अधिक व्यय :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014–15 व 2015–16 में LADA के तहत ₹586250 का अनुदान पंचायत को प्राप्त हुआ, परन्तु व्यय की ₹637313 थी, जोकि प्राप्त राशि से ₹51063 अधिक थी। अतः अधिक व्यय की राशि को उचित स्त्रोत से प्राप्त करके पंचायत निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15. **लघु आपत्ति विवरणिका :—**यह अलग से जारी नहीं की गई।

16. **निष्कर्ष :—** ग्राम पंचायत नरैश के लेखों, रोकड़ वहियों व स्टॉक रजिस्टरों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(iii),10/2016 खण्ड—1—6342—6345 दिनांकः 02.12. 2016, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत नरैश, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू हि0प्र0

हस्ता/—
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.